प्राक्कथन

1 यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया।

2 इस प्रतिवेदन के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य शासन की क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जाँच से उदभुत मामलों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणें सम्मिलित है। जहां आवश्यक थी छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी प्राप्त की गई।

3 तृतीय अध्याय, वित्तीय प्रतिवेदन पर विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है एवं राज्य सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमों, तौर तरीकों एवं वर्तमान वर्ष में दिए गए निर्देशों की स्थिति स्पष्ट करता है।

4 प्रतिवेदन जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के लेन देन की लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मंडलों एवं शासकीय कंपनियाँ की लेखापरीक्षा से प्राप्त प्रेक्षण तथा प्रतिवेदन जिनमें राजस्व प्राप्तियों से संबंधित टिप्पणियाँ समाहित है का अलग–अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।